न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 158 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. पालूदेवी पुत्री जुगताराम जाति विश्नोई निवासी पूंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. राजीदेवी पुत्री जुगताराम जाति विश्नोई निवासी कुन्दनपुरा 3. गोगीदेवी पुत्री जुगताराम जाति विश्नोई निवासी जाणियों की बस्ती तहसील धनाउ जिला बाड़मेर	1. किशनाराम गोद पुत्र पाबूराम 2. धापूदेवी पत्नी किशनाराम 3. रामचन्द्र पुत्र भारमल 4. पुरखाराम पुत्र भारमल 5. सुखराम पुत्र फुसाराम 6. देवाराम पुत्र फुसाराम 7. चुतराराम पुत्र हीराराम 8. वीरोदेवी पत्नी चुतराराम 9. मालाराम पुत्र चीमा 10. रामलाल पुत्र धनाराम 11. जगराम पुत्र सुखराम 12. हनुमान पुत्र सुखराम 13. तुलछीदेवी पत्नी सुखराम जातियान विश्नोई निवासीयान जाणियों की बस्ती तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 14. शाखा प्रबंधक एस बी आई शाखा सेड़वा जिला बाड़मेर 15. शाखा प्रबंधक आर एम जी बी शाखा धनाऊ जिला बाड़मेर 16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 26 / 2021 बअनवान किशनाराम वगै. बनाम रामचन्द्र वगै में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 09.12.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—02.03.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाणियों की बस्ती पटवार हल्का सांवा तहसील धनाउ के खेत खसरा संख्या 744/515 रकबा 01.08 बीघा भूमि में लुम्बाराम के वारीसान का 1/4 हिस्सा, वागाराम के वारीसान का 1/4 हिस्सा, प्रहलादराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा, चिमाराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित कर बंटवाड़ा करने का का मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटगण पर उपरोक्त स्थिति में विधिवत रूप से तामिली नहीं हुई है, जिस वजह से अपीलांटगण को न तो जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ और न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता संख्या 01 व 02 ने उपरोक्त वाद के अतिरिक्त प्रथम वाद संख्या 117/2020 दिनांक 26.11.2020 को प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राम जाणियों की बस्ती पटवार हल्का सांवा तहसील धनाउ के खेत खसरा संख्या 660/356, 662/356 और 740/515 में अपना हक घोषित करवाने व बंटवाड करने का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें खसरा संख्या 744/515 रकबा 01.08 बीघा जानबूझकर अंकित नहीं किया। यदि अंकित करने से उपरोक्त खसरा रह गया तो उसे संशोधन करके सही किया जा सकता था। वाद में उतरदाता संख्या 01 व 02 ने इस वाद से पूर्व किये गये वाद के तथ्यों को छुपाते हुए यह वाद पेश किया और गलत रूप से एकतरफा गलत डिक्री हासिल की, जो गलत रूप से हासिल की गयी। सभी खसरों का साथ में ही बंटवाड़ा होना जरूरी है, क्योंकि दोनों वादों में वादीगण व प्रतिवादीगण समान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है और सभी खसरे संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांटगण को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जबावदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.12.2022 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिस्सों की घोषणा नहीं की गई जबकि प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की घोषणा ही की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2021 बअनवान किषनाराम वगै. बनाम रामचन्द्र वगै में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 09.12.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जबावदावा पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.04.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रताप सिंह पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर